<u>न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी :– निखिल कुमार नाड, आर.जे.एस.

निय0 फौज0प्र0सं0– 103 / 2016

सी.आई.एस. सं. 2121 / 2015

राजस्थान राज्य

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र कंवरीलाल,
निवासी–देवनगर, थाना–कालू,
जिला–पाली (राज.)

–अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा–379 भा.दं.सं.</u>

उपस्थिति :–

01 सहायक अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से.

02 श्री पृथ्वीसिंह हाड़ा, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से.

/ / <u>निर्णय</u> / / **<u>दिनॉकः– 09.03.2021</u>**

1. इस प्रकरण का उद्भव परिवादी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 413 / 2015, पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी में प्रस्तुत करने से हुआ, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी की इण्डिका कार सं. आर.जे. 14 8सी 6556 उसके मकान बाईपास के नीचे मोड़ी पाड़ा छाबड़ा गैरेज के पास आज दिनांक 08.08.2015 को रात 02:00 बजे तक खड़ी थी। जब प्रातः 05:00 बजे वह जगे तो गाड़ी घर के बाहर नहीं मिली, जिसे काफी तलाश किया, लेकिन नहीं मिली, आदि।

2. उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379 का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 28.11.2015 को न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजि. महोदय, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां उसी दिन न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर दिनांक 12.05.2016 को उक्त धारा के तहत अभियुक्त को आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया–समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन–समझकर उसने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात् दिनांक 27.09.2016 को उक्त प्रकरण नियमानुसार निस्तारण हेतु न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

3. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष द्वारा पी.ड.1 उस्मान, पी.ड.2 अब्दुल अजीज, पी.ड.3 बाबूलाल, पी.ड.4 मुकेश कुमार, पी.ड.5 सद्धाम हुसैन, पी.ड.6 सुबोध कुमार सिंह, पी.ड.7 इन्द्र सिंह, पी.ड.8 रामखिलाड़ी, पी.ड.9 दिलीप सिंह, पी.ड.10 माणकराम, पी.ड.11 राजेन्द्र सिंह के बयान मौखिक साक्ष्य में लेखबद्ध कराये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी.1 प्रदर्श पी.15 को प्रदर्शित कराया गया।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 22.02.2021 को लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कथन किया है और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

5. बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माने जाने का व अभियुक्त को अधिकतम सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

6. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया है कि महत्वपूर्ण साक्षियों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

7. तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त पर धारा 379 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप है। जिसके निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारीय बिन्दु है–

1. आया अभियुक्त ने सुसंगत दिवस व समय पर परिवादी की अनुमति के बिना, जान–बूझकर बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए वाहन संख्या आर.जे. 14, 8सी 6556 को ले जाकर चोरी कारित की ?
2. यदि हॉ तो किस सजा से दंडनीय है ?

8. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर परिवादी उस्मान अली की इण्डिका कार चोरी करने के अपराध का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अपितु हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित चोरी के अपराध में अभियुक्त से चोरीशुदा सामान की बरामदगी महत्वपूर्ण होती है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से प्रश्नगत वाहन को जिला पाली में दौराने नाकाबंदी पी.ड.9 दिलीप सिंह व पी.ड.10 माणकराम की उपस्थिति में प्रदर्श पी.9 के माध्यम से पी.ड.8 रामखिलाड़ी द्वारा बरामद कर जप्त किया गया था। प्रदर्श पी.9 फर्द जप्ती पर पी.ड.9 व पी.ड.10 ने बतौर गवाह हस्ताक्षर कर रखे हैं। अभियुक्त अधिवक्ता ने दोनों

गवाहान से केवल पी.ड.8 द्वारा फर्द जप्ती को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तैयार नहीं करने की प्रतिरक्षा ली है। इस संदर्भ में नक्शा मौका बरामदगी स्थल एवं पी.ड.8 लगायत पी.ड.10 की साक्ष्य से भी यह प्रकट होता है कि बरामदगी स्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर उप–कारागृह था और एक किलोमीटर की दूरी पर आबादी बसी हुई थी, बावजूद उसके पी.ड.8 द्वारा फर्द जप्ती एवं बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह के बजाय पुलिसकर्मी पी.ड.9 व पी.ड.10 की उपस्थिति में तैयार की गयी है। न्यायालय के मत में कोई भी सामान्य व्यक्ति फौजदारी मामलों में किसी भी तथ्य का साक्षी बनने से बचने का प्रयास करता है, क्योंकि आमजन में यह उपधारणा होती है कि गवाह को पुलिस थाने एवं न्यायालय के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस वजह से उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पी.ड.8 रामखिलाड़ी द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से चोरीशुदा कार को बरामद करने की कार्यवाही स्वतंत्र गवाह के समक्ष नहीं करना अभियोजन के पक्ष को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है।

9. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की उक्त प्रतिरक्षा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि पुलिस के गवाहान पूर्णरूप से अविश्वसनीय नहीं होते हैं, इस संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चिय **गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम राज्य व अन्य एससीसी (2012) 4 पेज–722** में सुसंगत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि *यदि पुलिस के गवाहान की साक्ष्य सुदृढ़ व विश्वसनीय हो तो केवल इस आधार पर कि स्वतंत्र गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है, पुलिस के गवाहान की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। पुलिस के द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान किये गये कार्यों के बाबत् विधिनुसार यह उपधारणा की जाती है कि यह नियमित विधिक रूप से किये गये हैं। न्यायालय इन गवाहान की साक्ष्य का मूल्यांकन शुरू से ही इन्हें अविश्वसनीय मानकर नहीं कर सकता है।''* इसके अतिरिक्त उपरोक्त समस्त पुलिसकर्मियों की अभियुक्त से कोई रंजिश या दुश्मनी, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं आया है। जिससे कि समस्त पुलिसकर्मी गवाहान की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जावे।

10. अभियुक्त की उक्त तीनों गवाहान से यह भी प्रतिरक्षा रही है कि प्रश्नगत वाहन को धारा 102 दं.प्र.सं. के तहत जप्त किया गया था, जबकि प्रकरण के चोरीशुदा वाहन को इस प्रकरण में जप्त किया जा सकता था। ज्ञातव्य है कि एक अपराध के संदर्भ में एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण का चोरीशुदा वाहन जिला पाली के जैतारण में अभियुक्त से बरामद किया गया है। उसी समय अभियुक्त के आधिपत्य से इस प्रकरण की चोरीशुदा कार में से ऑक्सीजन का सिलेण्डर भी बरामद किया गया था, जो पुलिस थाना जैतारण की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 363/2015 में चोरीशुदा सामान था। इस वजह से उक्त

ऑक्सीजन सिलेण्डर को पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया था, परन्तु चोरीशुदा कार उक्त प्रकरण की सामग्री नहीं थी और उक्त वाहन के संदर्भ में पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 413/2015 दर्ज की जा चुकी थी तथा वरवक्त बरामदगी उपस्थिति पुलिसकर्मी इस प्रकरण से संबंधित अनुसंधान अधिकारी या थाने पर पद–स्थापित पुलिसकर्मी नहीं था, इसलिये पी.ड.8 रामखिलाड़ी द्वारा कार को धारा 102 दं.प्र.सं. के तहत बरामद किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की उक्त प्रतिरक्षा भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त तीनों गवाहान से कोई जिरह नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन का अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है।

12. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत वाहन अभियुक्त के आधिपत्य का नहीं है, अपितु परिवादी उस्मान के स्वामित्व का है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन अभियुक्त के पास कैसे पहुंचा, इस विशिष्ट तथ्य की जानकारी अनन्य रूप से केवल अभियुक्त को होना सम्भव है, परन्तु इस तथ्य का उल्लेख अभियुक्त ने अपने बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में नहीं किया है, न ही इस बाबत् कोई प्रतिरक्षा ली है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन का अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद होना केवल अभियुक्त द्वारा उसे चोरी करने के तथ्य को प्रमाणित करता है।

13. पी.ड.1 उस्मान, पी.ड.2 अब्दुल अजीज, पी.ड.5 सद्धाम हुसैन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त गवाहान ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उन्होंने वाहन को चोरी करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। ऐसी स्थिति में किसी भी गवाहान से अभियुक्त की शिनाख्तगी करवाने का एवं उक्त गवाह की साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

14. पी.ड.11 राजेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना जैतारण में प्रश्नगत वाहन जप्त होने के पश्चात् उसे इस प्रकरण में जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.4 के माध्यम से गवाह पी.ड.7 इन्द्र सिंह के समक्ष औपचारिक रूप से जप्त किया था। उक्त वाहन को जपत करने के पश्चात् पी.ड.11 राजेन्द्र सिंह ने पी.ड.3 बाबूलाल मालखाना प्रभारी को मालखाने में दर्ज करने हेतु सुपुर्द किया था। इसी प्रकार पी.ड.6 सुबोध कुमार सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् पत्रावली अनुसंधान हेतु पी.ड.11 राजेन्द्र सिंह को प्रस्तुत करने तथा बाद अनुसंधान आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की औपचारिक साक्ष्य दी है। उक्त गवाहान की औपचारिक साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

15. परिणामस्वरूप उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुसार अभियुक्त धारा 379 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

16. अतः अभियुक्त कैलाश चन्द पुत्र कंवरीलाल, निवासी–देवनगर, थाना–कालू, जिला–पाली (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाता है।

(निखिल कुमार नाड)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

सजा के प्रश्न पर सुना गया।

17. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त का पत्रावली पर कोई आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। साथ ही अभियुक्त के राजकीय सेवा में होने से उसे धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का भी निवेदन किया।

18. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्त को यथेष्ठ दंड से दंडित किए जाने परीविक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिए जाने का निवेदन किया।

19. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि यह अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त वर्ष 2015 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को तत्काल सजा से दंडित किए जाने के बजाए परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दंडादेश

20. अतः अभियुक्त कैलाश चन्द पुत्र कंवरीलाल, निवासी–देवनगर, थाना–कालू, जिला–पाली (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किए जाने पर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि वह दो वर्ष की अवधि के लिए 20 हजार रूपए की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करावे कि वह इस अवधि के दौरान सदाचारी रहेगा अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा

न्यायालय सजा हेतु तलब करेगा तो स्वयं को सजा के लिए उपस्थित कर देगा तो परीविक्षा पर छोड दिया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर कार्यवाही व्यय के रूप में 7000/–रूपए कुल अक्षरे सात हजार रूपए अधिरोपित किए जाते हैं। साथ ही धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम के तहत यह दोषसिद्धी अभियुक्त की राजकीय सेवा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं रखेगी।

21. अभियुक्त के पूर्व के हाजरी बाबत् प्रस्तुत जमातन मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन संख्या : आर.जे. 14, 8सी 6556 को पूर्व में दिनांक 07.09.2015 को सिपुर्दगार उस्मान अली को सुपुर्दगी पर दी हुई। इस संबंध में प्रस्तुत जमानतनामा–सिपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी नियमानुसार निरस्त समझे जावें। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जप्तशुदा कोई माल मालखाने में लंबित नहीं है।

(निखिल कुमार नाड)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

22. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निखिल कुमार नाड)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)